


अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

रतनलाल बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा-प्रा0पत्र 128 एल.आर.ए.

मु0नं0-12/2023

पीठासीन अधिकारी- यशवन्त मीना (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.08.2024	<p>पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना पत्र हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आराजी भूमि खसरा नम्बर 177, 499/127, 501/178, वाके ग्राम पीलवा खुर्द तह0 सिकराय जिला दौसा में स्थित है जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज है। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि उक्त भूमि प्रार्थी के कब्जेकाशत एवं खातेदारी भूमि है जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काशत करता चला आ रहा है। यह है कि पडौसी खातेदारान आये दिन मेडो को तोडकर अपने खेत में मिलाते रहते है जिससे आए दिन झगडे फसाद होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान भी उप तहसीलदार सिकन्दरा के आदेश से दिनांक 18.05.2022 को किया जा चुका है। प्रार्थी उक्त सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी करवाना चाहते है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त सीमाज्ञान के दौरान अंकित किए गए चिन्हों पर पत्थरगढी कायम की जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा जवाब भी पेश किया जा चुका है। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं जवाब उप तहसीलदार सिकन्दरा का अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं जवाब स्टेट के अवलोकन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नम्बर 177, 499/127, 501/178, वाके ग्राम पीलवा खुर्द तह0 सिकराय जिला दौसा में पत्थरगढी कायम करने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिए जाते है तहसीलदार सिकराय उक्त आदेशानुसार प्रार्थी की भूमि पर पत्थरगढी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। तहसीलदार सिकराय को पालना हेतु तहरीर जारी हो।</p> <p>निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 02.08.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा) </p>	